


No. 2839 /DRA Dated: 09 Oct, 2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of other than linear projects, it is certified that 2-29-26 Hectares Mohal Manei of forest land proposed to be diverted in favour of Leond Hydro Project Power Pvt Limited for construction of Banu Shep (5 M.W.) in Tehsil Baijnath Kangra District falls within jurisdiction of Village Manei in Tehsil Baijnath Distt Kangra.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2-29-26 hect .of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Dharjot Tar, Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure.
- (b) the proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- (c) the Gram Sabha Dharjot Tar has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure , if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Dharjot Tar Village Manei is enclosed as annexure.
- (d) the discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have been their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.


District Collector
Kangra at Dharamshala.

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

दिनांक 19.9.2017 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अन्तर्गत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही

जिला स्तरीय समिति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 की बैठक दिनांक 19-9-2017 को श्री सी० पी० बर्मा, भा० प्र० से० उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसमें सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

| | |
|--|-------|
| 1 जिला राजस्व अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला | सदस्य |
| 2. जिला योजना अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला | सदस्य |
| 3 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला। | सदस्य |
| 4 वन मण्डल अधिकारी नूरपुर । | सदस्य |
| 5 वन मण्डल अधिकारी देहरा/ए०सी०एफ० | सदस्य |
| 6 सहायक अरण्यपाल वन पालमपुर | सदस्य |
| 7 श्री गगन सिंह | सदस्य |
| 8 श्री मति गायत्री देवी | सदस्य |
| 9 अनिता देवी | सदस्य |

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की । बैठक में निम्नलिखित कार्य व लोक निर्माण विभाग से विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किये जाने बारे आवेदन उपमण्डल स्तरीय कमेटी धर्मशाला, बैजनाथ, पालमपुर व ज्वाली से आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

1. उपमण्डल अधिकारी (ना०) धर्मशाला से निम्नलिखित मामले प्राप्त हुए हैं:-

1. बलेहड़ दरिणी खुर्द रोड तहसील शाहपुर के निर्माण हेतु ।
2. 2.5 MW Bated Small Hydro Power Project के निर्माण हेतु ।
3. Link road to village Dibba (Panjol, Bhiun) Km 0/0 to 1/020 तहसील शाहपुर के निर्माण हेतु ।

2. उपमण्डल अधिकारी (ना०) वैजनाथ से वानू शिप (5 MW) के निर्माण हेतु मामला प्राप्त हुआ है ।

3. उपमण्डल अधिकारी(ना०) पालमपुर से Kapru Baner Small Hydro Project (3MW) महाल वन मौजा जिया के निर्माण हेतु मामला प्राप्त हुआ है ।

4. उपमण्डल अधिकारी (ना०) ज्वाली से लिंक रोड कैहरियां गाामीटल राजोल कोटला रोड तहसील ज्वाली के निर्माण हेतु मामला प्राप्त हुआ है

बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त समस्त मामलों को ध्यानपूर्वक देखा गया। उपमण्डल स्तरीय समिति से प्राप्त बैठक की कार्यवाही से पाया गया कि उपरोक्त मामलों में किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया है तथा कमेटी के किसी भी सदस्यों द्वारा कोई एतराज नहीं जताया गया। अतः समस्त मामले जिला स्तर की बैठक में परित कर दिये गये हैं जिस बारे प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाएंगे।

इसके अतिरिक्त उपमण्डल अधिकारी ना0 वैजनाथ से वन अधिकार के दावों के 24 मामले प्राप्त हुए हैं जिनको ऋद्धियों के कारण पुनः अवलोकनार्थ वापिस किया गया।

अतः इस बारे सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (ना0) से चर्चा के उपरांत पुनः जिला स्तरीय बैठक में रखा जाएगा।

तत्पश्चात उपायुक्त महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करके बैठक को समाप्त कर दिया।

स्थान—धर्मशाला

दिनांक अक्टूबर 2017



श्री0पी0वर्मा,
भा0प्र0से0

उपायुक्त कांगड़ा एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

पृष्ठांकन संख्या / डी0आर0ए0 दिनांक अक्टूबर 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
- 2 जिला योजना अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
- 3 सहायक अरण्यपाल वन पालमपुर।
- 4 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला, नूरपुर, देहरा।
- 5 वन मण्डल अधिकारी (वन संरक्षण) हमीरपुर।
- 6 श्री गगन सिंह गौरा गांव वंगार डा0 वोह तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा।
- 7 श्री मति गायत्री कपूर धौलाधार क्लोनी सी-41 पोस्ट ऑफिस दाडी लोहर वडोल तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा।
- 8 श्री मति अनिता देवी गांव व डा0 चचियां तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा।



District Revenue Officer

Kangra

4/10/17

अति0 जिलादण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

आज दिनांक 05-05-2017 को उप-मण्डल अधिकारी (ना0) बैजनाथ की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनापति प्रमाण पत्र दिए जाने के सन्दर्भ में बैठक का आयोजन किया गया । जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया ।

1. श्री वचित्र सिंह ठाकुर तहसीलदार बैजनाथ ।
2. श्री राज कपूर बन परिक्षेत्र अधिकारी
3. श्री टेक चन्द रैंज आफिसर स्वाड ।
4. श्री हंस राज पी0आई0 खण्ड विकास अधिकारी बैजनाथ ।
5. श्री श्रीकान्त सदस्य कमेटी ।
6. श्रीमति कमला देवी सदस्य कमेटी ।
7. श्रीमति रशमा देवी सदस्य कमेटी ।


सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित हुए समस्त सदस्यों का आभार प्रकट किया । तदोपरान्त वन अधिकार अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनापति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जो कि इस कार्यालय में प्राप्त हुए हैं कं सम्बन्ध में चर्चा की गई । जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है -:

1. पंचायत धर नरघोड चोवू के निर्माण कार्य हेतू वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के अर्न्तगत अनापति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जो कि इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है वारे चर्चा की गई । अवलोकन करने उपरान्त उप मण्डल स्तरीय कमेटी ने सर्व सम्मति से पास किया । जो कि जिला स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया ।
2. वानू शिप हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट (5) मेगावाट महाल मनेई मौजा लनौड में वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनापति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जो कि इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है वारे चर्चा की गई । अवलोकन करने उपरान्त उप मण्डल स्तरीय कमेटी ने सर्व सम्मति से पास किया । जो कि जिला स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया ।
3. आर्यन हाईड्रो प्रोजैक्ट प्रा0 लि0 संसाल (1) मेगावाट महाल भारग व भटटू बूहला में वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनापति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जो कि इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है वारे चर्चा की गई । अवलोकन करने उपरान्त उप मण्डल स्तरीय कमेटी ने सर्व सम्मति से पास किया । जो कि जिला स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया ।
4. गांब घरगेहड में जीप / एम्बुलैन्स योग्य रास्ता बनाने हेतू बन अधिकार समिति राजनगर प्रा0 पंचायत कोठी उप तहसील चडियार में बन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वारे चर्चा की गई । अवलोकन के उपरान्त उप मण्डल स्तरीय कमेटी द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि का ततीमा मौ।का न काटा गया है । जिसके वारे पुनः पत्राचार करके शामिल करने वारे निर्देश दिए गये ।
5. श्रेष्ठा हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट प्रा0 लि0 (1) मेगावाट करोट नैन में बन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वारे चर्चा की गई । उप मण्डल स्तरीय कमेटी के सदस्यों ने प्रकरण में शामिल प्रस्ताव ग्राम सभा करोट की बैठक में कुल 136 सदस्य उपस्थित होना दर्शाये गए हैं जवकि उस गांव की कुल जनसंख्या न दर्शाई है । जिस वारे जिसके वारे पुनः पत्राचार करने वारे निर्देश दिए गये ।
6. करोट नैन शिप पावर प्रोजैक्ट प्रा0 लि0 (1) मेगावाट करोट नैन में बन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वारे चर्चा की गई । उप मण्डल स्तरीय कमेटी के सदस्यों ने प्रकरण में शामिल प्रस्ताव ग्राम सभा करोट की बैठक में कुल 136 सदस्य उपस्थित होना दर्शाये गए हैं जवकि उस गांव की कुल जनसंख्या न दर्शाई है । जिस वारे जिसके वारे पुनः पत्राचार करने वारे निर्देश दिए गये ।



7. वन भूमि के सामुहिक अधिकार सम्बन्धी दावे का आवेदन वन अधिकार कमेटी कन्दराल के दावे उप मण्डल स्तरीय कमेटी के सदस्यों के समक्ष पेश हुए जो कि छानवीन हेतु तहसीलदार बैजनाथ को भेजे गए हैं । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि इस वारे समिति व वन विभाग व तहसीलदार बैजनाथ के साथ पत्राचार करके शीघ्र निपटारा किया जाये । इसके अतिरिक्त वन अधिकार से सम्बन्धित आठ मामले तहसीलदार मुल्थान से प्राप्त हुए हैं जिसमें विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त कागजात पूरे न होने के कारण वापस भेजने के आदेश दिए गए ।

8. कोठी कोहड पावर प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 (3) मेगावाट के निर्माण हेतु वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वारे चर्चा की गई । जिसमें विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त कागजात पूरे न होने के कारण वापस भेजने के आदेश दिए गए ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद सहित बैठक का समापन किया गया ।


उप -मण्डल अधिकारी (ना0),

बैजनाथ ।


District Revenue Officer
Kangra or Dharamshala
Himachal Pradesh


अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा

ग्राम पंचायत

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01.....

दिनांक 22/5/2016

वन अधिकार समिति मुहाल सभा की बैठक आज दिनांक 22/5/2016 को 02 P.M.

धारजात तर में श्री/श्रीमती दिनेश कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें धारजात तर मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गाँववासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन :-

सही दावों का ब्यौरा :-

| क्रम संख्या | पात्र गाँव वासी के नाम | जंगल का नाम | वन-अधिकार का ब्यौरा |
|-------------|--|-------------------|--|
| 1 | वान लक्ष्मण विद्युत परियोजना (5.11.10) | U.P.F भेई जंगल | विथर पावर हाऊस लक्ष्मण हालमिशन लाईन आदि |

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे /इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क्रम संख्या | पात्र गाँव वासी का नाम |
|-------------|------------------------|
| | |

तदानुसार मुहाल सभा इस दावे /इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है :

या

मुहाल/गाँव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रधान Dikesh Kumar
वन अधिकार समिति तर
अध्यक्ष दिनेश कुमार (कामका) द्विप

स्थान धारजात तर

सचिव

सचिव

Pardass.

दिनांक 22/5/2016

वन अधिकार समिति तर

अध्यक्ष दिनेश कुमार (कामका) द्विप

attested
[Signature]

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा धारजात तर

ग्राम पंचायत दिनेश

विकास खंड.....दिनेश

हिमाचल प्रदेश।

District Revenue Officer
Kangra at Dharamshala
Himachal Pradesh

अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम धारजोत तर
 ग्राम पंचायत का नाम दिगोल
 मुहाल सभा सदस्य संख्या 50
 उपस्थित सदस्य संख्या 38

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01.....

दिनांक 29/05/2016

मुहाल सभा तर की बैठक आज दिनांक 29/5/16 को 11:30 बजे
 स्थान धारजोत (तर) में श्री/श्रीमती दिनेश कुमार की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त
 मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है, जिसमें तर मुहाल के अनुसूचित
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस मुहाल
 सभा की वन अधिकारी समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए। गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन
 अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार
 की कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन :-

सही दावों का ब्यौरा

| क्रम संख्या | पात्र गाँव वासी के नाम | जंगल का नाम | वन-अधिकार का ब्यौरा |
|-------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 01 | वानू लखुजलविदुत परिभाजना | उ.प.फ मनेई जंगल | विद्युत् पावर हाऊस लड्डू दास मिशन लाइन आदि |

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

| क्रम संख्या | पात्र गाँव वासी का नाम |
|-------------|------------------------|
| - | - |

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल तर (में कोई भी वन अधिकार का
 दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान - धारजोत तर

प्रधान दिनेश कुमार
 वन अधिकार समिति तर

पंचायत सचिव

दिनांक - 29/5/2016

ग्राम पंचायत दिगोल तहसील देवनथ (कांगड़ा) मुहाल सभा

SECY

ग्राम पंचायत ANCHAYAT, DIYOL
 DEV. BLOCK BAUNATH, KANGRA, H.P.

District Revenue Officer
 Kangra at Dharamkot
 Himachal Pradesh

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा धारजात तर

विकास खण्ड बाजनाथ जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

गणपूर्ति 38/50

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 29/5/2016

प्रस्ताव संख्या 01

विषय: अनापत्ति प्रमाणपत्र देने वारे (विभाग/संस्था को वानू लघु जल विद्युत परियोजना (5.11.10) के निर्माण हेतु

U.P.F मनेई

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

2.2926

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमती प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा धारजात तर की बैठक आज दिनांक 29/5/2016 को

11:30 बजे स्थान धारजात तर में की गई जिसमें वानू लघु जल विद्युत परियोजना (विभाग/संस्था को वानू

U.P.F मनेई जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.2926 हेक्टेयर वन भूमि के

उपयोग की मंजूरी के लिए सहमती प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सामंती से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है

महल ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2.2926 हेक्टेयर वन भूमि को वानू लघु जल विद्युत परियोजना निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा धारजात तर की सहमती दी जाती है।

स्थान धारजात तर

अधिकृत हताक्षरकर्ता

दिनांक 29/5/2016

ग्राम सभा धारजात तर



GRAM PANCHAYAT DIYOL
DEV. BLOCK-BAJNATH, KANGRA, H.P

District Revenue Office
Kangra and Dharan
Himachal Pradesh

आज दिनांक 12-8-2014 को ग्राम पंचायत केवल
के ग्राम पर की ग्राम सभा के अध्यक्ष श्री
दिनेश कुमार के अध्यक्षता में हुई जिससे
निम्नलिखित लोगो का नाम लिया व वन अधिकार
कमेटी बनाने का कार्य को शुरू किया: ग्राम सभा
में जो चर्चा की गई उसका विवरण इस प्रकार
है हैं

उपस्थित:-

| नाम | पिता/पति का नाम | हस्ताक्षर/संग्रहकर्ता |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| दिनेश कुमार | 8/0 जगत राम | Dinesh Kumar |
| परमेश्वरी दास | 5/0 प्रमोदी चन्द | परमेश्वरी |
| शिलोक चन्द | 5/0 गंगू राम | शिलोक चन्द |
| मनू देवी | 1/0 परमेश्वरी दास | मनू देवी |
| विष्णु देवी | 1/0 पंजु राम | विष्णु देवी |
| फरु राम | 5/0 विष्णु राम | फरु राम |
| शीमा देवी | 1/0 कर्म चन्द | शीमा देवी |
| सजीव कुमार | 5/0 फरु राम | SARJEEV Kumar |
| रमेश कुमार | 5/0 बल दास | RAMESH Kumar |
| बाली देवी | 1/0 प्रमोदी चन्द | बाली देवी |
| कर्म चन्द | 5/0 योमस राम | कर्म चन्द |
| वीला देवी | 1/0 नानक चन्द | वीला देवी |
| गोमक चन्द | 5/0 रिडकू राम | गोमक चन्द |
| आर्या देवी | 1/0 योमस राम | आर्या देवी |
| जोडाराम | 5/0 गंगू राम | जोडा राम |
| सुमना देवी | 1/0 शिलोक चन्द | सुमना देवी |

आज दिनांक २२-०५-२०१६ में गाँव तर किवन
आधिकार कर्मचारी को लोक अदालत द्वारा
दिनांक २२-०५-२०१६ में पत्र लिखा जा
कि गाँव लघु जल विद्युत परियोजना को
अवधि पूर्ण पत्र देना हेतु रखा गई जिस में
निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

| नाम | पिता / पति का नाम | पद | हस्ताक्षर |
|------------------|-------------------|--------|---------------|
| विनेश कुमार डी/० | श्री जगत राम | पृथ्वी | विनेश कुमार |
| मेरवी कस डी/० | श्री प्रकाश चन्द | सचिव | मेरवी कस |
| न. दास डी/० | श्री लाल राम | सदस्य | विश्वनाथ |
| म. लाल डी/० | श्री दीया राम | ॥ | |
| च. चन्द डी/० | श्री चोकस राम | ॥ | करम चन्द |
| निल कुमार डी/० | श्री पञ्च राम | ॥ | पञ्च राम |
| ल. क. चन्द डी/० | श्री राम राम | ॥ | न. ल. क. चन्द |
| वानी प्रसाद डी/० | श्री प्रेम चन्द | ॥ | |
| मडी देवी डी/० | श्री प्रकाश चन्द | ॥ | मडी देवी |
| पुन कुमार डी/० | श्री पित्र राम | ॥ | पुन कुमार |
| मेडा कुमार डी/० | श्री अहम देव | ॥ | मेडा कुमार |
| मेरी देवी डी/० | श्री जेठा राम | ॥ | मेरी देवी |
| राम लाल डी/० | श्री दीया राम | ॥ | राम लाल |
| सुन्नी देवी डी/० | मदन लाल | ॥ | सुन्नी देवी |
| अवानी लीट डी/० | पुन चन्द | ॥ | अवानी |

अतः बैंक में विचार विवेक के उपरान्त
सर्वसम्मति से पारित हुआ कि गाँव लघु जल विद्युत परियोजना
(L.M.W) विभाजित हेतु (वीपर पावर हाउस, सड़क और
ट्रान्मिशन लाइन आदि) हेतु प्रुलि २.२१२६ मॉल है। वन
प्रुलि का उपयोग करने पर वन अधिकार कर्मचारी तर
को कोई भी आपत्ति नहीं है।

आज दिनांक २७-९-०६ को साब तर की जन अधिकार
कमेटी की बैठक अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार की अध्यक्षता
में हुई जो कि वानर जट्टु जल विद्युत परिषदना
का अनापति प्रमाण पत्र देना हेतु रखी गई।
जिले में विद्युत नलिकित नोडा जो प्रमाण बिपा
जिनकी हाजरी इस प्रकार है

| क्र० | नाम | पिता/पति का नाम | हस्ताक्षर |
|------|--------------------|------------------|----------------|
| १. | दिनेश कुमार S/O | श्री जगन राम | Dinesh Kumar |
| २. | परमेश्वरी देवी S/O | श्री प्रकाश चन्द | Permeswari |
| ३. | विश्व दास S/O | श्री राजी राम | विश्व दास |
| ४. | शुद्धी देवी W/O | विश्व दास | शुद्धी देवी |
| ५. | अजीव कुमार S/O | श्री ॥ | |
| ६. | शैल लाल S/O | श्री प्रेम चन्द | शैल लाल |
| ७. | पवन कुमार S/O | श्री विजय राम | Pawan Kumar |
| ८. | अर्जुन कुमार S/O | ॥ | अर्जुन सिंह |
| ९. | परमेश्वरी देवी W/O | ॥ | परमेश्वरी देवी |
| १०. | रुशमा देवी W/O | श्री पवन कुमार | रुशमा |
| ११. | रमेश कुमार S/O | श्री ब्रह्म देव | Ramesh Kumar |
| १२. | संजय कुमार S/O | ॥ | Sanjay Kumar |
| १३. | निमजा देवी W/O | श्री पञ्च राम | निमजा देवी |
| १४. | पवना देवी W/O | श्री संजय कुमार | पवना देवी |
| १५. | तिलोक चन्द S/O | श्री राम राम | तिलोक चन्द |
| १६. | सुमना देवी W/O | तिलोक चन्द | सुमना देवी |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 17. सुन्दरी देवी w/o श्री जोडा राम | सुन्दरी देवी |
| 18. मिलाप चन्द ड/0 श्री जगु राम | मिलाप चन्द |
| 19. जोडा राम ड/0 श्री " | जोडा |
| 20. पवना देवी ड/0 श्री मिलाप चन्द | पवना देवी |
| 21. निकलूराम ड/0 श्री चौकस राम | Nikla Ram |
| 22. करम चन्द ड/0 श्री चौकस राम | करम चन्द |
| 23. आशा देवी ड/0 श्री करम चन्द | आशा देवी |
| 24. शशिशा देवी w/o श्री करम चन्द | शशिशा देवी |
| 25. मदन लाल ड/0 श्री पुकारा चन्द | मदन लाल |
| 26. मनु देवी w/o श्री परमेश्वरी दास | मनु देवी |
| 27. लामरी देवी w/o श्री पुकारा चन्द | लामरी देवी |
| 28. बिलक राज ड/0 श्री करम चन्द | Bilal Raj |
| 29. विनोद कुमार ड/0 श्री जगत राम | Vinod Kumar |
| 30. जगत राम ड/0 श्री चौकस राम | जगत राम |
| 31. मोहरा देवी w/o " | |
| 32. पुतली देवी w/o श्री जगत राम | |
| 33. राम लाल ड/0 श्री दायां राम | राम लाल |
| 34. सुभाष चन्द ड/0 श्री पुष्पी चन्द | Suhas Chandra |
| 35. संजीव कुमार ड/0 श्री पजू राम | Sanjay Kumar |
| 36. प्रेम चन्द ड/0 श्री लानी राम | Prem Chandra |
| 37. रीना देवी w/o श्री दिनेश कुमार | Reena Devi |
| 38. सपना देवी w/o श्री विनोद कुमार | Sapna Devi |
| 39. भवानी प्रसन्न ड/0 श्री प्रेम चन्द | |
| 40. वकलूराम ड/0 श्री प्रेम चन्द | |

क्र. मा. सुनीलकुमार झा ग्रीपलोरम

विषय :- जानू लघु जल विद्युत परियोजना को
अनापति प्रमाण पत्र देने हेतु विचार विमर्श

मैलक से अध्यक्ष महोदय जी से प्रस्ताव रखा कि
(वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2008 के
अहत धारा 10 तः में जानू लघु जल विद्युत
परियोजना (S.M.W) निम्न विवर पावर हाऊस
लडक डोल मिशन जार्डिन इत्यादि 2.2026 हेक्टेयर
वन भूमी में उपयोग हेतु वन अधिकार
समिति द्वारा पास करके वन अहवाल ग्राम लखा
तर के पास करने हेतु प्रकृति की भी जिस
पर अहवाल उपग्राम लखा विचार करें।

अतः मैलक से विचार विमर्श के
उपरोक्त सभी सहमति ले पारित हुआ कि
उपरोक्त प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु (विपर पावर
हाऊस) लडक और डोल मिशन जार्डिन आदि
हेतु 2.2026 हेक्टेयर वन भूमी का
उपयोग करने पर अहवाल उपग्राम लखा तर
के कोई आपत्त नहीं है अतः वन अधिकार
समिति उपग्राम लखा द्वारा सर्व सहमति ले
निम्न लिखित शर्त के साथ अनापति प्रमाण
पत्र प्रदान किया जाता है।

- I. जानू पावर हाऊस ल खेकर तर गांव तक
एक मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए।
- II. तर गांव से चार (4) मीटर जार्डिन लगाई जाए।
- III. तर गांव के लोगों को प्रोजेक्ट तयार होने पर
सोवरी दी जाए
- IV. प्रोजेक्ट का काम चलने पर गांव तर के लोगों

3. काम करना है उसे लिए जाए।
 लर कमी के अध्यापन श्री विनेश कुमार की
 स्क शाही प्रोजेक्ट के कार्य पर लगाई जाए

अतः पुढेवात सर्वोपलब्धि के
 पालन करके उसकी प्रविलिपि आमनीय उपम
 अधिकारी (जागरिक) के लजायु की की सेवा
 आशा की कार्यवाही है प्रविलिपि है।

प्रधान Ditash Kumar

पत्र अधिकार समिति का
 अध्यक्ष दयाल तहल नैनान्य (कामडा) हि.प्र



SECY

GRAM PANCHAYAT DIYOL
 DEV. BLOCK BAJNATH KANGRA H.P.



शाम लख
धारजोत तर

प्रस्ताव प्रतिलिपि संख्या ०१

दिनांक २९/५/२०१६

उपरिस्थिति ३३/२०

अध्यक्षता

आज दिनांक २९/५/२०१६ को ग्रामसभा तर की बैठक प्रचार श्री/श्रीमती दिनेश कुमार की अध्यक्षता में होकर निम्नलिखित कार्यवाही अगल में हुई गई।

विषय उपग्रामसभा तर (धारजोत) के द्वारा विचार-विमर्श करने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वारे

बैठक में अध्यक्ष महोदय जीने प्रस्ताव रखा व सर्वसम्मति से पारित हुआ कि (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम २००६ के तहत धारजोत तर में वानूलयु जलविद्युत परियोजना द्वारा ०५ मेघावाट निर्माण वीयरपावर हाऊस लुडकु ट्रांसमिशन लाईन इत्यादि ०२.२९२६ हेक्टेयर वन भूमि में उपयोग हेतु वन अधिकारी समिति द्वारा पास करके वन महाल ग्रामसभा तर को पास करने हेतु पेश की थी, कि इस पर महाल उपग्रामसभा विचार-विमर्श करे।

अतः बैठक में विचार-विमर्श करने के उपरान्त सर्वसम्मति से पारित हुआ कि उपरोक्त प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु (वीयरपावर हाऊस लुडकु और ट्रांसमिशन लाईन आदि) ०२.२९२६ हेक्टेयर हेतु इस वन भूमि का उपयोग करने पर महाल उपग्रामसभा तर को कोई भी आपत्ति नहीं है लेकिन वन अधिकारी समिति उपग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

- १) वानू पावर हाऊस से लेकर तर गांव तक १ मीटर चौड़ा शस्ता बनाया जाए,
- २) तर गांव में ०४ खेला लाईनें लगाई जाए,
- ३) तर गांव के लोगों को प्रोजेक्ट तैयार होने पर नोकरी दी जाए,
- ४) प्रोजेक्ट का कार्य चलान पर तर गांव के लोगों को काम करने हेतु ठेके दिए जाए,
- ५) तर नकरी के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार की एक गाड़ी प्रोजेक्ट के कार्य पर लगाई जाए।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र सर्वसम्मति से पास करके इसकी प्रतिलिपि माननीय उपमंडल अधिकारी एन० वैजनाथ जी की सेवा में आगामि कार्रवाई हेतु पेश की है।

समापित किया जाता है कि नकल मुखाविक
असल है।

दिनांक २९/५/२०१६